

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर बस्तर 494001 (छत्तीसगढ़)



फोन (कार्या) : 07782-222006 (निवास) : 227634 (फैक्स) : 07782-222120 E-mail-ccfjagdalpur@rediffmail.com

क्र./व.त.अ./ 2467
प्रति,

जगदलपुर दिनांक 19/09/2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(भू-प्रबंध)

छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- Diversion of forest land for non- forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for the purpose of Approach Road for Atal Vihar Awas Yojna at Chokawada, area - 0.672 ha. regarding !

पंजीयन क्रमांक/FP/CG/OTHERS /10835/2015

- संदर्भ :-**
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू - प्रबंध छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/भू - प्रबंध/विविध/एल.एम.-115-617/1347 दिनांक 06.06.2016 एवं पत्र क्रमांक /भू - प्रबंध/विविध/115-617/1688 दिनांक 22.05.2017 ।
 2. वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल जगदलपुर के पत्र क्रमांक/मा.चि./2961 दिनांक 13.09.2017 (वृत्त कार्यालय को प्राप्त दिनांक 18.09.2017)

—::000::—

विषयान्तर्गत प्रतिवेदन है कि आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग जगदलपुर द्वारा ग्राम चोकावाड़ा में आमागुड़ा संरक्षित वन खण्ड कक्ष क्रमांक 1809 पी में रकबा 0.672 हे. वन भूमि में गृह निर्माण मण्डल के अटल बिहार कॉलोनी तक पहुँच मार्ग (Approcha Road) निर्माण के प्रस्ताव पर संदर्भित पत्र द्वारा पंजीयन क्रमांक/FP/CG/OTHERS /10835/2015 आबंटित है। प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू - प्रबंध छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/ भू - प्रबंध/विविध/115-617/1688 दिनांक 22.05.2017 द्वारा उठाई गई कमियों /त्रुटियों का निराकरण उपरांत वनमण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है जो निम्नानुसार है :-

क्र.	कमियों	निराकरण
1	2	3
1	वेब पोर्टल में उक्त आफ लाईन प्रकरण के फार्म - "ए" पार्ट-2 में समस्त जानकारी अपलोड कर मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त के माध्यम से टाईम लाईन एवं फार्म - "ए" पार्ट -1 (आवेदक द्वारा) मय हस्ताक्षर प्रेषित करें।	वनमण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल द्वारा वेब पोर्टल में उक्त ऑन लाईन प्रकरण के फार्म - "ए" पार्ट -2 में समस्त जानकारी अपलोड किया गया है। टाईम लाईन "ए" पार्ट -1 आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कराकर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

2	उक्त प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्र का वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न करें। यह कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के पूर्व को होना चाहिए। आनलाईन कलेक्टर कार्यालय से भी अपलोड करावें।	उक्त प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्र का वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत उपखण्ड समिति का कार्यवाही विवरण प्रस्ताव में संलग्न है। ऑनलाईन में कलेक्टर कार्यालय से भी अपलोड किया गया है।
3	प्रस्ताव की एक मूल प्रति प्रस्तुत करें।	प्रस्ताव की मूल प्रति संलग्न है।
4	वनमण्डलाधिकारी, का नाम एवं सील विधिवत् दर्शित हो।	प्रस्ताव में वनमण्डलाधिकारी का नाम एवं सील दर्शाया गया है।
5	एन.पी.व्ही. का गणना पत्रक संलग्न करें।	प्रस्ताव में एन.पी.व्ही. का गणना पत्रक पृ.क्रमांक 74 में संलग्न है।

अतः वनमण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल से प्राप्त विषयांकित प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

पृ.क्र./व.त.अ./ 2468

प्रतिलिपि :-

1. कमिश्नर, बस्तर - संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला - बस्तर जगदलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृहनिर्माण मण्डल संभाग, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,

जगदलपुर/वृत्त, जगदलपुर
19/9/17

जगदलपुर दिनांक

मुख्य वन संरक्षक,

जगदलपुर/वृत्त जगदलपुर